an>

Title: Need to extend benefits to tribal people in Nasik district under Dindori parliamentary Constituency, Maharashtra.

श्री हरिच्द्र चव्हाण (दिंडोरी) ः नियम 377 के माध्यम से मैं सरकार का ध्यान वन अधिकार अधिनियम 2006 की ओर दिलाना चाहता हॅू। इस कानून की कमियों की कई बार समीक्षा की गई और इसमें आवश्यक संशोधन किये गये। कुछ आदिवासियों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। उदाहरण के तौर परट पूरे भारत में 31 दिसम्बर, 2015 तक वन अधिकार के लिए 44,13,727 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें से 20,64,536 आवेदनों को निरस्त कर दिया और 17,11,045 आवेदन ही वितरित किये गये। इसके कई कारण बताये जा रहे हैं। वन अधिकार अधिनियम में वन भूमि अधिकार के लिए ग्राम स्तर से जिला स्तर तक तीन समितियां बनाई गई हैं, जिसमें कथित रूप से काफी पक्षपात किया जा रहा है। मेरा संसदीय क्षेत्र अंतर्गत नासिक जिले का एक भाग है, उसमें पड़ने वाले सुरग्राणा, पेठ, कलवण एवं तूयंबकेश्वर तहसीलों में पातू आदिवासी लोग, जिनको यह अधिकार मिलना चाहिए था, वह नहीं मिल पाया। उदाहरण के तौर पर, मेरे गृह जिले नासिक में ग्राम स्तर पर 50,443 आवेदन मिले थे, परंतु जिला स्तर पर यह आधे से कम यानि 18,235 रह गये और उसमें से 353 अस्वीकृत किये गये और 17,545 ही आवेदन मंजूर किये गये हैं।

मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हॅू कि महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले में पड़ने वाले मेरे संसदीय क्षेत्र दिंडोरी के सुरग्राणा, पेठ, कलवण एवं तूयंबकेश्वर तहसीलों में जो आवेदन पतू वन अधिकार के लिए ग्राम स्तर से जिला स्तर पर गठित समितियों द्वारा नामंजूर किये गये, उनकी दोबारा जांच की जानी चाहिए। इसमें पाये गये दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिए, जिससे वंचित आदिवासियों को वन अधिकार मिल सके।